The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

45. छात्राओं में महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जागरूकता व प्रभाव का अध्ययन

(उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में अध्ययनरत छात्राओं के संदर्भ में)

रोशनी अहिरवार
छात्रा- जनसंचार एवं पत्रकारिता
IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा
ईमेल-rk7521784@gmail.com

शोध सार

यह शोध-पत्र गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्राओं के बीच महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जागरूकता और उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन के अंतर्गत 140 छात्राओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े संकलित किए गए। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि महिला हेल्पलाइन (1090) के प्रति जागरूकता सर्वाधिक (35.7%) है, जबकि एंटी-रैगिंग नियम के प्रति जागरूकता सबसे कम (17.1%) पाई गई। सोशल मीडिया (53.6%) और शैक्षणिक संस्थान (21.4%) जागरूकता के प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें ज्ञात हुआ है कि (72.1%) छात्राएं कानूनी सहायता लेने में सहज महसूस करती है। यह शोध सुझाव देता है कि कानूनी जागरूकता को केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द- महिला सुरक्षा, कानून, छात्राएं, जागरूकता, शिक्षा, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

भारतीय समाज में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा ने न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को गति दी है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं अब शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक और सक्रिय हो रही हैं।

इसके बावजूद, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि क्या शिक्षा के साथ-साथ छात्राओं में अपने अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति भी समान स्तर की जागरूकता विकसित हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि छात्राएं शैक्षणिक रूप से सक्षम होने के बावजूद अपने कानूनी अधिकारों के प्रति पूर्णतः सजग नहीं होती हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास, आत्मविश्वास और सामाजिक न्याय के प्रति चेतना का निर्माण भी है।

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें शोषण, हिंसा और भेदभाव से संरक्षण प्रदान करना है। महिला हेल्पलाइन नंबर (1090), बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO), घरेलू हिंसा अधिनियम तथा एंटी-रैगिंग नियम जैसे कानून महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

हालांकि, इन सभी प्रयासों के बावजूद यह देखा गया है कि छात्राओं में इन कानूनों के प्रति जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम है। कई छात्राएं केवल इन कानूनों के नाम से परिचित होती हैं, लेकिन उनकी विस्तृत जानकारी, उपयोग की प्रक्रिया तथा कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप, जब किसी प्रकार की समस्या या उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वे उचित कानूनी सहायता लेने में संकोच करती हैं या असमर्थ रहती हैं।

यह स्थिति विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है, जहां शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक होती है। उदाहरण के रूप में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जैसे विकसित जिले में भी छात्राओं के बीच कानूनी जागरूकता में असमानता पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल संसाधनों की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी उपयोग के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

इस संदर्भ में यह अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह छात्राओं के बीच महिला सुरक्षा कानूनों की जागरूकता के स्तर, उनके प्रभाव तथा व्यवहारिक उपयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह अध्ययन उन कारकों की पहचान करने का प्रयास करता है जो जागरूकता को प्रभावित करते हैं, जैसे—शैक्षणिक संस्थान, मीडिया, सामाजिक परिवेश आदि।

अंततः, यह शोध इस दिशा में उपयोगी सुझाव प्रदान करता है कि किस प्रकार छात्राओं में कानूनी जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। यदि छात्राएं अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति सजग होंगी, तो वे न केवल स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगी, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।

साहित्य का पुनरावलोकन

महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जागरूकता और उनके प्रभाव पर पूर्व में किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रावधानों की उपलब्धता के बावजूद उनका प्रभाव काफी हद तक जागरूकता और व्यवहारिक उपयोग पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में पूर्व शोधों का विश्लेषण इस विषय की गहराई को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

शर्मा (2021) द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि लगभग 60% छात्राएं महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं थीं। यह निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करता है कि केवल कानूनों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बारे में सही और व्यापक जानकारी का प्रसार भी आवश्यक है। विशेष रूप से यह समस्या उन क्षेत्रों में अधिक देखी गई जहां कानूनी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों की कमी है।

सिंह एवं वर्मा (2022) ने अपने अध्ययन में पाया कि विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम—जैसे कार्यशालाएं, सेमिनार और मीडिया अभियान—छात्राओं के ज्ञान स्तर को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इन कार्यक्रमों के बावजूद छात्राओं के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं देखा गया। अध्ययन के अनुसार, छात्राएं वास्तविक परिस्थितियों में कानूनी सहायता लेने में संकोच करती हैं, जिसका मुख्य कारण सामाजिक दबाव, प्रक्रिया की जटिलता तथा आत्मविश्वास की कमी है।

कुमार (2020) के अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं में महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके बावजूद, कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर भ्रम और अनिश्चितता बनी रहती है। यह अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि केवल सूचना की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ सही मार्गदर्शन और व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय पर किए गए अध्ययनों से समान निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। UN Women (2019) की रिपोर्ट के अनुसार, महिला सुरक्षा कानूनों की प्रभावशीलता सीधे तौर पर जागरूकता और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी होती है। जिन क्षेत्रों में कानूनी साक्षरता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, वहां महिलाओं द्वारा कानूनी सहायता लेने की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है।

इसी प्रकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, 2020) की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और जागरूकता अभियानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों को एक प्रमुख माध्यम के रूप में देखा गया है, जो छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उपरोक्त सभी अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता का स्तर अभी भी संतोषजनक नहीं है। साथ ही, जागरूकता और उसके व्यवहारिक उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कानूनी जागरूकता को केवल सैद्धांतिक स्तर तक सीमित न रखते हुए, उसे व्यावहारिक प्रशिक्षण, संवादात्मक शिक्षण और संस्थागत समर्थन के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए।

अध्ययन के उद्देश्य

1. छात्राओं में महिला सुरक्षा कानूनों की जागरूकता का अध्ययन।
2. छात्राओं में इन कानूनों के प्रभाव का अध्ययन करना।

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत अध्ययन में छात्राओं के बीच महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जागरूकता एवं उनके प्रभाव का व्यवस्थित विश्लेषण करने के लिए एक वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अनुसंधान पद्धति अपनाई गई है। इस शोध का उद्देश्य न केवल जागरूकता के स्तर का आकलन करना है, बल्कि यह भी समझना है कि ये कानून व्यवहारिक रूप से किस प्रकार छात्राओं को प्रभावित करते हैं।

इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रकार का उपयोग किया गया है। वर्णनात्मक अनुसंधान के माध्यम से छात्राओं के बीच महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत एकत्रित आंकड़ों का गहन विश्लेषण करते हुए उनके प्रभाव, प्रवृत्तियों तथा विभिन्न कारकों के बीच संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है। यह मिश्रित दृष्टिकोण अध्ययन को अधिक व्यापक और विश्वसनीय बनाता है।

अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले को निर्धारित किया गया है। यह क्षेत्र शहरी विकास, शैक्षणिक संस्थानों की प्रचुरता और विविध सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अध्ययन के लिए उपयुक्त माना गया। यहां विभिन्न कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इस शोध का मुख्य केंद्र बनाया गया है, जिससे एक यथार्थपरक परिप्रेक्ष्य प्राप्त हो सके।

इस अनुसंधान में कुल 140 छात्राओं को नमूने के रूप में चयनित किया गया। यह संख्या अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मानी गई, जिससे प्राप्त आंकड़े प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सकें। नमूना चयन के लिए यादृच्छिक नमूना चयन विधि का उपयोग किया गया, जिससे प्रत्येक छात्रा को चयनित होने का समान अवसर प्राप्त हो। इस विधि से चयन में पक्षपात की संभावना कम होती है और परिणाम अधिक निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनते हैं।

डेटा संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्रश्नावली को इस प्रकार तैयार किया गया कि वह अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप हो तथा छात्राओं से स्पष्ट, सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की जा सके। इसमें बंद और कुछ अर्ध-खुले प्रश्न शामिल किए गए, जिनके माध्यम से छात्राओं की जागरूकता, सूचना के स्रोत, कानूनी सहायता लेने की प्रवृत्ति तथा उनके अनुभवों को समझने का प्रयास किया गया। प्रश्नावली को सरल भाषा में तैयार किया गया ताकि सभी प्रतिभागी आसानी से उसे समझ सकें और बिना किसी संकोच के उत्तर दे सकें।

डेटा संग्रह प्रक्रिया के दौरान नैतिक पहलुओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। सभी प्रतिभागियों को अध्ययन के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की गई। उनकी पहचान को गुप्त रखा गया और केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही आंकड़ों का उपयोग किया गया।

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि, तालिका निर्माण तथा तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग किया गया। प्रतिशत विधि के माध्यम से विभिन्न उत्तरों का अनुपात ज्ञात किया गया, जिससे रुझानों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

तालिकाओं के माध्यम से आंकड़ों को व्यवस्थित एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे उनका विश्लेषण अधिक प्रभावी हो सके। इसके अतिरिक्त, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से विभिन्न समूहों, जैसे—जागरूक एवं गैर-जागरूक छात्राओं के बीच अंतर को समझने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार, अपनाई गई अनुसंधान विधि न केवल अध्ययन को संरचित और व्यवस्थित बनाती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्त निष्कर्ष तथ्यात्मक, विश्वसनीय एवं अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप हों। यह पद्धति भविष्य में इसी विषय पर किए जाने वाले अन्य शोधों के लिए भी एक आधार प्रदान करती है।

आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं विवेचन

प्रस्तुत अध्ययन में गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत 140 छात्राओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े संकलित किए गए। इन आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, तालिका एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया गया, जिससे छात्राओं में महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जागरूकता एवं उनके प्रभाव का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत हो सके।

सबसे पहले, महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूकता के स्तर का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि **महिला हेल्पलाइन (1090)** के प्रति सर्वाधिक जागरूकता पाई गई, जहां लगभग **35.7% छात्राएं** इस सेवा के बारे में जानकारी रखती हैं। इसके विपरीत, **एंटी-रैगिंग नियमों** के प्रति जागरूकता सबसे कम, केवल **17.1%** छात्राओं में पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ प्रमुख सेवाओं के बारे में तो छात्राएं जानती हैं, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण नियमों और कानूनों की जानकारी सीमित है।

अन्य कानूनों जैसे—**POCSO अधिनियम**, **घरेलू हिंसा अधिनियम** आदि के प्रति जागरूकता मध्यम स्तर पर देखी गई। कई छात्राएं इन कानूनों के नाम से तो परिचित थीं, लेकिन उनके प्रावधानों, शिकायत प्रक्रिया एवं अधिकारों की विस्तृत जानकारी का अभाव पाया गया। यह दर्शाता है कि जागरूकता आंशिक (Partial Awareness) है, जो व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है।

जागरूकता के स्रोतों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि **सोशल मीडिया (53.6%)** सबसे प्रमुख माध्यम है, जिसके द्वारा छात्राएं महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। इसके बाद **शैक्षणिक संस्थानों (21.4%)** का स्थान आता है, जबकि अन्य स्रोतों जैसे—मित्र, परिवार एवं पारंपरिक मीडिया की भूमिका अपेक्षाकृत कम पाई गई। यह निष्कर्ष बताता है कि डिजिटल माध्यम आज के समय में जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी साधन बन चुका है।

कानूनी सहायता लेने की प्रवृत्ति के संदर्भ में अध्ययन से यह सकारात्मक तथ्य सामने आया कि लगभग **72.1% छात्राएं** आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में स्वयं को सहज महसूस करती हैं। हालांकि, शेष छात्राएं अभी भी संकोच, भय या जानकारी के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पातीं। तुलनात्मक विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिन छात्राओं को कानूनों की बेहतर जानकारी है, वे कानूनी सहायता लेने के प्रति अधिक आत्मविश्वास दिखाती हैं।

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

इसके अतिरिक्त, अध्ययन में यह भी पाया गया कि जागरूकता और व्यवहारिक उपयोग के बीच एक अंतर मौजूद है। कई छात्राएं कानूनों के बारे में जानती तो हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए, इस बारे में स्पष्टता नहीं होती। उदाहरण के लिए, हेल्पलाइन नंबर की जानकारी होने के बावजूद, उसका उपयोग कब और कैसे करना है, इस पर भ्रम देखा गया।

तालिकात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि जागरूकता का स्तर शिक्षा, सामाजिक परिवेश और सूचना के स्रोतों से प्रभावित होता है। जिन छात्राओं को संस्थागत स्तर पर प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रमों का अनुभव मिला, उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास का स्तर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया।

अंततः, इस अध्ययन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति छात्राओं में प्रारंभिक जागरूकता तो मौजूद है, लेकिन उसे गहराई और व्यवहारिक समझ की आवश्यकता है। इसलिए, केवल जानकारी प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और संवादात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से इस जागरूकता को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि छात्राएं अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

जागरूकता स्तर

श्रेणी	**प्रतिशत**
जानकारी है	86.4%
जानकारी नहीं है	13.6%

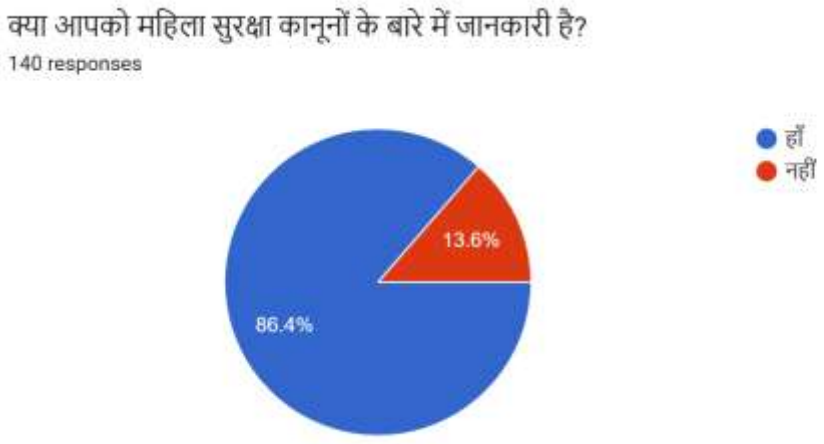

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 86.4% छात्राएं महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक हैं, जबकि 13.6% छात्राएं इनसे अनभिज्ञ पाई गईं। यह दर्शाता है कि अधिकांश छात्राओं तक इन कानूनों की जानकारी पहुंच चुकी है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जागरूकता अभियान, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका प्रभावी रही है।

हालांकि, इस जागरूकता को केवल प्रारंभिक स्तर की जानकारी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई छात्राएं कानूनों के नाम से परिचित होती हैं, लेकिन उनके व्यावहारिक उपयोग, प्रक्रिया और अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं रखतीं। इसलिए, जागरूकता की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

दूसरी ओर, 13.6% छात्राओं का अनभिज्ञ रहना एक चिंता का विषय है। यह वर्ग आपात स्थिति में उचित निर्णय लेने या कानूनी सहायता प्राप्त करने में पीछे रह सकता है।

अतः, यह आवश्यक है कि जागरूकता को और अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक बनाया जाए। इसके लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संवादात्मक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सभी छात्राएं अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से सजग और सशक्त बन सकें।

कानूनों की जानकारी

कानून	जानकारी (%)
POCSO Act	20%
हेल्पलाइन (1090)	35.7%
एंटी-रैगिंग नियम	17.1%
घरेलू हिंसा अधिनियम	27.1%

The Asian Thinker

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

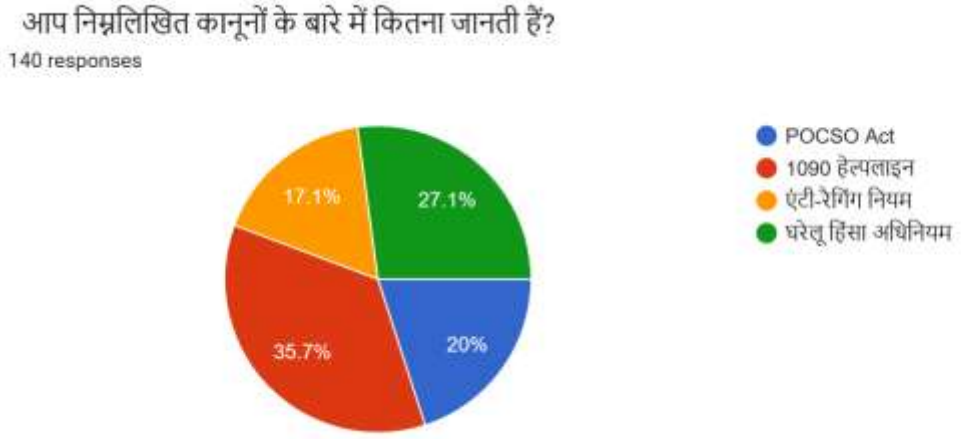

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, छात्राओं में विभिन्न महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता का स्तर अलग-अलग पाया गया। **हेल्पलाइन (1090)** के प्रति सर्वाधिक जागरूकता **35.7%** दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि त्वरित सहायता सेवाओं के प्रचार-प्रसार का प्रभाव छात्राओं तक प्रभावी रूप से पहुंचा है। इसके बाद **घरेलू हिंसा अधिनियम (27.1%)** के प्रति भी अपेक्षाकृत अच्छी जानकारी देखी गई, जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर इस विषय की चर्चा को दर्शाता है।

वहीं, **POCSO Act (20%)** के प्रति जागरूकता मध्यम स्तर पर पाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संवेदनशील विषय होने के कारण इसकी जानकारी सीमित रूप में ही छात्राओं तक पहुंच रही है। सबसे कम जागरूकता **एंटी-रैगिंग नियम (17.1%)** के प्रति पाई गई, जो एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में। यह विश्लेषण बताता है कि जहां सरकारी अभियान और मीडिया कुछ कानूनों को प्रभावी रूप से प्रसारित कर रहे हैं, वहीं अन्य महत्वपूर्ण नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः संस्थागत स्तर पर विशेष अभियान, कार्यशालाएं और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि सभी कानूनों के प्रति संतुलित और व्यापक जागरूकता विकसित हो सके।

जागरूकता के स्रोत

स्रोत	**प्रतिशत**
शैक्षणिक संस्थान	21.4%
सोशल मीडिया	53.6%
समाचार माध्यम	17.1%
मित्र/परिवार/अन्य	7.9%

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

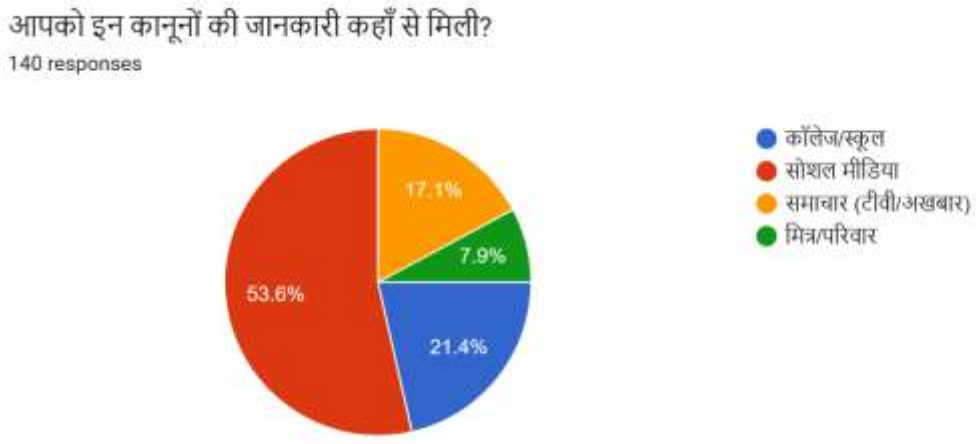

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, छात्राओं में महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत सोशल मीडिया (53.6%) है। यह दर्शाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय में जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। सोशल मीडिया की पहुंच, त्वरित सूचना प्रसार और आकर्षक प्रस्तुति इसे युवाओं, विशेषकर छात्राओं के बीच अधिक लोकप्रिय बनाती है।

इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों (21.4%) की भूमिका महत्वपूर्ण पाई गई, जो यह संकेत देता है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय भी जागरूकता बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, हालांकि उनकी भूमिका को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। समाचार माध्यम (17.1%) का योगदान अपेक्षाकृत कम पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पारंपरिक मीडिया का प्रभाव युवाओं के बीच धीरे-धीरे सीमित हो रहा है।

वहीं, मित्र, परिवार एवं अन्य स्रोत (7.9%) जागरूकता के सबसे कम प्रभावी माध्यम रहे, जो दर्शाता है कि व्यक्तिगत नेटवर्क के माध्यम से इस विषय पर चर्चा अभी भी सीमित है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों और पारंपरिक मीडिया को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि जागरूकता अधिक व्यापक और संतुलित रूप में विकसित हो सके।

शिकायत प्रक्रिया की जानकारी

प्रतिक्रिया	प्रतिशत

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

जानकारी है	65%
जानकारी नहीं है	35%

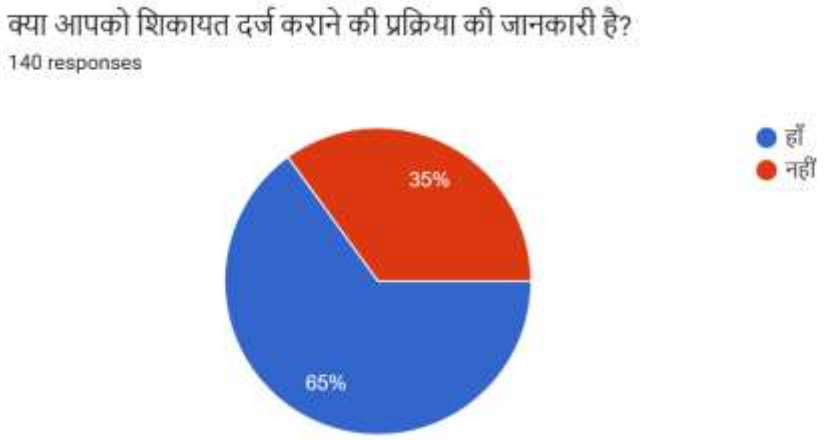

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 65% छात्राओं को शिकायत प्रक्रिया की जानकारी है, जबकि 35% छात्राएं इससे अनभिज्ञ पाई गईं। यह परिणाम आंशिक रूप से संतोषजनक है, क्योंकि अधिकांश छात्राएं यह जानती हैं कि किसी समस्या या उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि जागरूकता कार्यक्रमों और संस्थागत प्रयासों का कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

हालांकि, 35% छात्राओं का शिकायत प्रक्रिया से अनभिज्ञ होना एक गंभीर चिंता का विषय है। केवल कानूनों की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि उन्हें व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। यदि छात्राओं को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, संबंधित संस्थाओं या हेल्पलाइन के उपयोग की जानकारी नहीं होगी, तो वे अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाएंगी।

तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जिन छात्राओं को प्रक्रिया की जानकारी है, उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना अधिक पाई जाती है, जबकि अन्य छात्राएं असमंजस और संकोच की स्थिति में रहती हैं।

संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम

प्रतिक्रिया	**प्रतिशत**
हाँ	52.1%
नहीं	47.9%

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

तालिका 5:

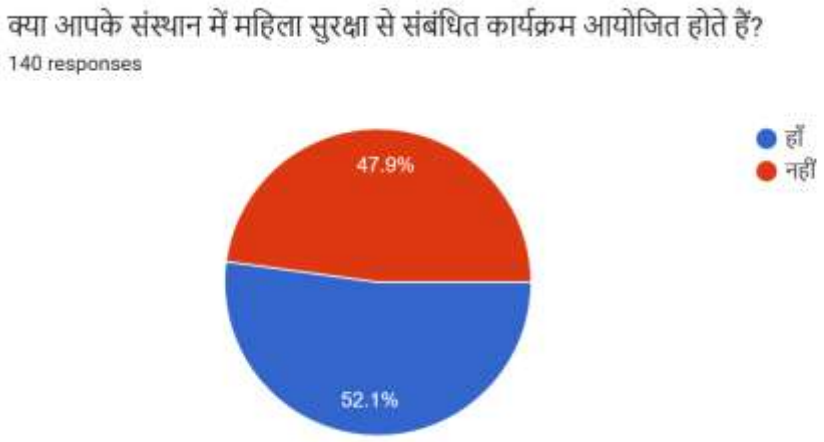

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 52.1% छात्राओं ने बताया कि उनके संस्थानों में महिला सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जबकि 47.9% छात्राओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नहीं होते। यह स्थिति दर्शाती है कि जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन सभी संस्थानों में समान रूप से नहीं हो रहा है।

हालांकि आधे से अधिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित होना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन लगभग आधे संस्थानों में इनका अभाव एक गंभीर चिंता का विषय है। शैक्षणिक संस्थान छात्राओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता केंद्र होते हैं, जहां उन्हें न केवल शिक्षा बल्कि उनके अधिकारों और सुरक्षा संबंधी जानकारी भी मिलनी चाहिए। ऐसे में यदि संस्थान इस दिशा में सक्रिय नहीं हैं, तो छात्राएं आवश्यक जानकारी से वंचित रह सकती हैं।

तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जिन संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहां की छात्राएं अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और कानूनी सहायता लेने के प्रति सजग होती हैं। इसके विपरीत, जहां ऐसे कार्यक्रम नहीं होते, वहां जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया जाता है।

कानूनी मदद लेने में सहजता

प्रतिक्रिया	**प्रतिशत**
सहज	72.1%
असहज	6.4%
अनिश्चित	21.4%

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

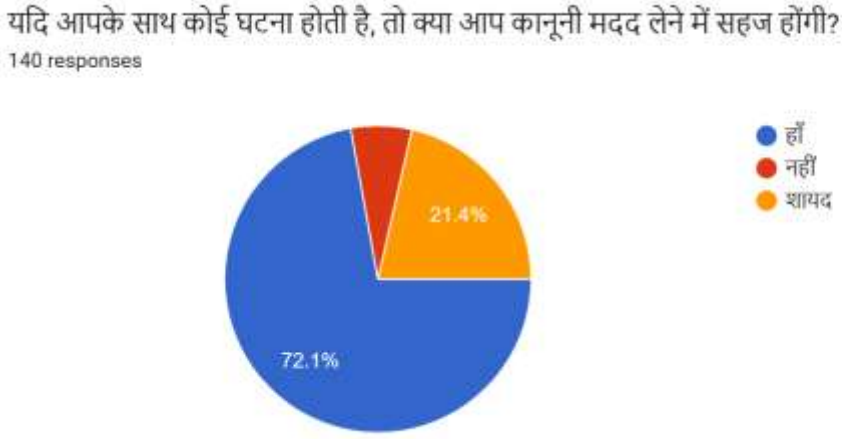

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, **72.1% छात्राएं कानूनी सहायता लेने में स्वयं को सहज** महसूस करती हैं, जबकि **6.4% छात्राएं असहज** हैं और **21.4% अनिश्चित** स्थिति में हैं। यह परिणाम दर्शाता है कि अधिकांश छात्राओं में कानूनी सहायता लेने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, जो बढ़ती जागरूकता और आत्मविश्वास का संकेत है।

हालांकि, गहराई से देखने पर यह भी स्पष्ट होता है कि एक महत्वपूर्ण वर्ग अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। विशेष रूप से 21.4% छात्राओं का अनिश्चित होना इस बात को दर्शाता है कि उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं, समर्थन तंत्र या परिणामों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं, 6.4% छात्राओं का असहज होना सामाजिक दबाव, भय, या प्रक्रिया की जटिलता जैसे कारणों से जुड़ा हो सकता है।

तुलनात्मक दृष्टि से यह पाया जाता है कि जिन छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों और शिकायत प्रक्रिया की बेहतर जानकारी है, वे अधिक आत्मविश्वास के साथ कानूनी सहायता लेने के लिए तैयार रहती हैं। इसके विपरीत, जानकारी के अभाव में छात्राएं निर्णय लेने में हिचकिचाती हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गौतम बुद्ध नगर में अध्ययनरत छात्राओं के बीच महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूकता का स्तर सामान्यतः संतोषजनक है, किन्तु इसमें अभी भी कई महत्वपूर्ण कमियाँ और असमानताएँ विद्यमान हैं। अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार, 72.1% छात्राएं कानूनी सहायता लेने में स्वयं को सहज महसूस करती हैं, जो यह दर्शाता है कि उनमें आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता का एक सकारात्मक स्तर विकसित हो रहा है। यह संकेत करता है कि समाज, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रभाव धीरे-धीरे छात्राओं तक पहुँच रहा है।

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-8 Volume: II, April-June, 2026 Issue-30 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

हालांकि, दूसरी ओर 13.6% छात्राओं में अभी भी कानूनी जागरूकता का अभाव पाया गया, जो इस दिशा में एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। यह वर्ग न केवल जानकारी से वंचित है, बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में उचित निर्णय लेने और सहायता प्राप्त करने में भी असमर्थ हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जागरूकता के प्रयास अभी सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाए हैं।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि विभिन्न महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता में असमानता पाई जाती है। कुछ कानून, जैसे हेल्पलाइन सेवाएं, अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध हैं, जबकि एंटी-रैगिंग नियम या अन्य कानूनी प्रावधानों के प्रति जानकारी सीमित है। यह असंतुलन दर्शाता है कि जागरूकता अभियानों का फोकस कुछ विशेष विषयों तक सीमित रह जाता है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी पीछे छूट जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि जागरूकता और उसके व्यवहारिक उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है। कई छात्राएं कानूनों के नाम और उनके उद्देश्य से परिचित हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि वास्तविक जीवन में इनका उपयोग कैसे किया जाए, शिकायत प्रक्रिया क्या है, और किन संस्थाओं से संपर्क करना चाहिए। यह व्यवहारिक ज्ञान की कमी छात्राओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है और उन्हें कानूनी सहायता लेने से रोकती है।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि जागरूकता के प्रमुख स्रोतों में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अधिक है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों और पारंपरिक मीडिया की भूमिका अपेक्षाकृत कम है। यह स्थिति दर्शाती है कि संस्थानों को इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे छात्राओं के लिए सबसे विश्वसनीय और प्रत्यक्ष माध्यम हो सकते हैं।

अतः, समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता में सुधार तो हुआ है, लेकिन इसे अधिक व्यापक, संतुलित और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, मॉक ड्रिल और कानूनी प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं। साथ ही, छात्राओं को एक सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान किया जाए, जहां वे बिना किसी भय या संकोच के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

अंततः, यदि छात्राओं को केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि उसके प्रभावी उपयोग की क्षमता भी प्रदान की जाए, तो वे न केवल स्वयं को सशक्त बना सकेंगी, बल्कि समाज में महिला सुरक्षा और समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, आर. (2021). *भारत में कॉलेज छात्राओं के बीच महिला सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता*. जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज़, 15(2), 45–52।

2. सिंह, ए., एवं वर्मा, पी. (2022). *महिला छात्राओं में कानूनी साक्षरता पर जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभाव*. इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़, 10(1), 78–85।
3. कुमार, एस. (2020). *शहरी महिलाओं में कानूनी जागरूकता और चुनौतियाँ: एक अध्ययन*. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च, 8(3), 112–119।
4. UN Women. (2019). *विश्व की महिलाओं की प्रगति: बदलते परिवारों का परिप्रेक्ष्य*. संयुक्त राष्ट्र।
5. World Health Organization. (2020). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रचलन के अनुमान*. डब्ल्यूएचओ प्रेस।

The Asian Thinker